(22)

समक्ष श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

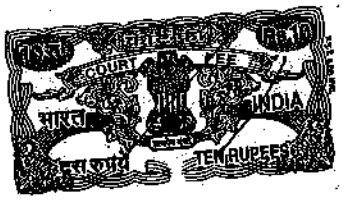

प्रकरण क्र0 933II/2012

Regtu 4167- II/12

अवधलाल सिंह पुत्र रामबहल सिंह निवा. डिघवार, तह. मऊगंज, जिला रीवा ....निगरानीकर्ता

बनाम

शासन म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर जिलाध्यक्ष रीवा म0प्र0

आवेदन पत्र बावत् किये जाने निरस्त अदम पैरवी का आदेश दिनांक 21/11/2012

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं :-

1- यह कि उक्त उन्मान प्रकरण माननीय न्यायालय में दिनांक 21/11/2012 को नियत थी, जिसकी पैरवी कनिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार पाण्डेय द्वारा की जा रही थी अधिवक्ता महोदय विगत पेशी में उपस्थित होकर प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 21/11/2012 ली थी, किन्तु अपने दैनन्दनी में उक्त प्रकरण को दिनांक 22/11/2012 में सहवन त्रुटिवश दर्ज कर लिया था व दिनांक को 22/11/2012 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण के विषय में जानकारी प्राप्त की तब यह तथ्य सामने आया कि प्रकरण की पेशी विगत दिनांक 21/11/2012 को थी जिसमें निगरानीकर्ता की ओर से किसी के उपस्थित न होने पर प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था।

2- यह कि पेशी दिनांक को अधिवक्ता की भूलवश प्रकरण में अदम पैरवी की कार्यवाही की गई है, अधिवक्ता की गलती से किसी पक्ष को दण्डित नहीं किया जा सकता इसलिये यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रकरण में की गई अदम पैरवी की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव उपरोक्त आधारों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में की गई अदम पैरवी की कार्यवाही निरस्त की जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई में लिये जाने की कृपा की जाय।

दिनांक 22/11/2012

निगरानीकर्ता/आवेदक
अवध लाल सिंह
निवासी-ग्राम. डिघवार तहसील मऊगंज
जिला रीवा (म.प्र.)

द्वारा अधिवक्ता -
पंकज कुमार मिश्र
एडवोकेट

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग० 4167/II/12 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	शिवधरलाल कार्यवाही तथा आदेश विरुद्ध	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता जाहिदा बेगम (उप०) के द्वारा प्रकरण में पुनः नम्बर पर लिये जाने संबंधी आवेदन संहिता की धारा 35(3) पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि पुनः नम्बर लिये जाने संबंधी आवेदन के साथ प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज करने संबंधी आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई है क्योंकि संहिता में निहित प्रावधान के अनुसार आक्षेपित एवं प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। तर्क के समय आवेदक अधिवक्ता को अदम पैरवी में खारिज किए जाने संबंधी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा एक माह का समय व्यतीत होने के बाद भी प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह रेस्टो० आवेदन विचारणीय न होने से निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्र० दा० रि० हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.